राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक :प.4(20)वित्त–1(1)आ.व्य./2024 जयपुर, दिनांक : 02/09/2024

परिपत्र

विषयः ग्रीन बजट (Green Budget) प्रस्तुत करने हेतु दिशा–निर्देश।

जलवायु परिवर्तन वैश्विक समाज के समक्ष आज के समय की बड़ी चुनौती है एवं इससे पार पाना वर्तमान समय की बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। इसके जल, थल, नभ पर होने वाले दुष्प्रभावों का प्राणी मात्र के अस्तित्व पर खतरा होने के साथ–साथ अर्थव्यवस्थाओं पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के केन्द्र सरकार के बजट में अमृतकाल के लिए 'Green Growth' को एक प्राथमिकता के रूप में रखा गया है। इसी क्रम में प्रदेश में दीर्घकालीन सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी विकास योजनाओं में 'Green Growth' के सिद्धान्त का समावेश करने तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदेश को 'हरित–राजस्थान' के रूप में उन्नति के पथ पर अग्रसर करने की दृष्टि से आगामी वर्ष से राज्य का 'Green Budget' प्रस्तुत करने की घोषणा, राज्य के परिवर्तित बजट वर्ष 2024–25 के बजट भाषण में की गई है। अतः वर्ष 2025–26 के बजट अनुमानों में राज्य का 'Green Budget' प्रस्तुत किया जाना है।

ग्रीन बजट (Green Budget) प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने, ग्रीन हाऊस गैसों के प्रभाव को कम करने, मरूस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण की रोकथाम तथा तापमान बढ़ने से रोकने इत्यादि पर किये जा रहे व्यय को इकजाई प्रदर्शित करने के साथ–साथ इस सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रयासों एवं व्यय में वृद्धि किया जाना है। राज्य के ग्रीन बजट में सभी विभागों की जलवायु/पर्यावरण प्रबन्धन के निम्न पहलूओं (जो कि एक illustrative सूची है) से सम्बन्धित योजनाओं को सम्मिलित किया जाना है –

- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबन्धन
- ग्रीन आधारभूत संरचनाओं का निर्माण यथा – सौर ऊर्जा संयंत्र, ग्रीन भवन, बेटरी चलित सार्वजनिक परिवहन इत्यादि
- जल संसाधन क्षेत्र
- जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन
- वायु तथा जल प्रदूषण नियंत्रण
- अपशिष्ट प्रबन्धन
- संधारणीय भूमि उपयोग तथा जलगृहण एवं मृदा संरक्षण
- जलवायु स्मार्ट कृषि
- मरूस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण की रोकथाम
- जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी संरक्षण

- ऐसी सभी योजनाएं जिनसे पर्यावरण में सुधार हो, कार्बन उत्सर्जन तथा ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन में कमी आये
- ग्रीन ग्रोथ/ग्रीन बजट से सम्बन्धित अन्य कोई विषय

अतः बजट अनुमान वर्ष 2025–26 की बी.एफ.सी. में सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन योजनाओं की समीक्षा कर जलवायु/पर्यावरण प्रबन्धन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु प्रस्तावित व्यय को चिह्नित किया जायेगा तथा इसकी सूचना ग्रीन बजट हेतु बी.एफ.सी. के निर्धारित प्रपत्र संख्या–6 में प्रस्तुत की जायेगी। ग्रीन बजट में सम्मिलित योजनाओं/कार्यक्रमों में ग्रीन बजट के लिए प्रस्तावित प्रावधान का प्रतिशत अंकित किया जायेगा। ग्रीन बजट खण्ड 4–ब में प्रदर्शित किया जायेगा।

ग्रीन बजट के व्यय/प्रगति का पर्यवेक्षण हेतु **पर्यावरण विभाग** नोडल विभाग होगा। नोडल विभाग द्वारा समस्त विभागों की कार्ययोजना निर्धारण का भी समन्वय किया जाएगा।

Sudhansh Pant
(सुधांश पंत) 31/8
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया/ माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. शासन सचिव, आयोजना विभाग/शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी।
8. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।

(देबाशीष पृष्टी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

[07 /2024]